न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानो—बाडमेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2024/63 दर्ज तिथिः—18.01.2024

1. गोमाराम पुत्र कानाराम
2. पनीदेवी पत्नी कानाराम
3. पम्पोंदेवी पत्नि लाखाराम

जाति जाट निवासी कानासर तहसील नोखडा जिला बाड़मेर

— प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. गिरधारीराम पुत्र गुमनाराम,
2. धनाराम पुत्र गुमनाराम,
3. पारूदेवी पत्नि गुमनाराम,
4. मगाराम पुत्र रामाराम,
5. लाधाराम पुत्र रामाराम,
6. चैनी पत्नि रामाराम,
7. अचलाराम पुत्र कानाराम,
8. डालुराम पुत्र कानाराम,
9. करनाराम पुत्र पोकराराम,
10. जैसाराम पुत्र पोकराराम,
11. धनाराम पुत्र पोकराराम,
12. ठाकराराम पुत्र भीखाराम,
13. नारणाराम पुत्र भीखाराम, कौम जाट, निवासी खडाली।
14. धापुदेवी पत्नि सोनाराम, कौम जाट, निवासी सारणो का तला, ग्राम पंचायत आदर्श आडेल, तहसील नोखडा, जिला बाड़मेर।
15. कवलाराम पुत्र हाजाराम,
16. निम्बाराम पुत्र हाजाराम,
17. कोहलाराम पुत्र रामाराम,
18. चेनाराम पुत्र रामाराम,
19. माहिंगाराम पुत्र जगाराम,
20. हरदाराम पुत्र जगाराम,

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.05 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested

21. भाभाराम पुत्र जगाराम,
22. मेहराराम पुत्र जालाराम,
23. रिड़मलराम पुत्र जालाराम,
24. लुम्भाराम पुत्र जालाराम,
25. खेताराम पुत्र जालाराम,
26. धनाराम पुत्र जालाराम,
27. अणसी पुत्री जालाराम,
28. लेहरों पत्नि जालाराम,
29. हेमाराम पुत्र गुणेशाराम,
30. जगमालराम पुत्र गुणेशाराम,
31. नगाराम उर्फ योगानंदगिरी पुत्र गुणेशाराम,
32. वाली पुत्री रतनाराम,
33. मफी पुत्री रतनाराम,
34. जीवां पुत्री रतनाराम,
35. वालीदेवी पत्नि मूलाराम,
36. गजाराम पुत्र रूपाराम,
37. भीखाराम पुत्र रूपाराम, कौम देवासी, निवासी खडाली।
38. धनाराम पुत्र नरसींगाराम,
39. पूनमाराम पुत्र नरसींगाराम,
40. मालाराम पुत्र नरसींगाराम,
41. वींजाराम पुत्र नरसींगाराम,
42. श्रवण पुत्र कानाराम,
43. हनुमानराम पुत्र कानाराम,
44. मंगली पत्नि कानाराम, कौम विश्नोई, निवासी खडाली।
45. उदाराम पुत्र लिखमाराम,
46. भंवराराम पुत्र लिखमाराम,
47. सुजारानाराम पुत्र लिखमाराम,
48. हरू पुत्र पुनमाराम,
49. खेताराम पुत्र पुनमाराम,
50. चम्पाराम पुत्र पुनमाराम,
51. हड्ुमानराम पुत्र पुनमाराम,
52. पेम्पों पत्नि पुनमाराम,
53. जेठाराम पुत्र हेमाराम,
54. मांगाराम पुत्र हेमाराम, कौम नाई उम्र सभी विप्रार्थीगण बालिग, निवासी खडाली, ग्राम पंचायत खडाली, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
55. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी।

.......................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.05 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested

गोमाराम बनाम गिरधारी
2024/63
निर्णय दिनांकः–03.02.2025

उपस्थित
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगण– श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–03.02.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 133/1/35.8065 है0 वाके ग्राम खडाली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 14.12.2023 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 14.12.2023 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 द्वारा असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 की खातेदारी आराजी प्रार्थी की आराजी के सेढा सेढ अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी का एकतरफा सीमाज्ञान करवाया है। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 के कब्जे काश्त की आराजी प्रार्थी की आराजी में तरमीम कर दी है। उक्त आराजी में अप्रार्थीगण की रहवासी ढाणी व टांके आदि बने हुए है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी को हटाने हेतु पेश किया होने से प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2024/296 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का खडाली ने दिनांक 29.03.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.05 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 14.12.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries****.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–76 वाकै ग्राम खडाली में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम आलपुरा के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.05 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested

सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 14.12.2023 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा 133, 136, 112, 117, 118, 134, 138 की सीमाओ पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा खसरा संख्या 133/1/35.8065 है0 वाके ग्राम खडाली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 03.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.05 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested